eISSN 3049-2610

RESEARCH STREAM

A Bi-Annual, Open Access Peer Reviewed International Journal

Volume 02, Issue 01, April 2025

# महिला सशक्तिकरण व शिक्षा के सन्दर्भ में सरकार और समाज की भूमिका

**विनोद कश्यप**[1]

[1]असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, लाला महादेव प्रसाद वर्मा बालिका महा0 गोसाईंगंज, लखनऊ

Received: 01 April 2025 Accepted & Reviewed: 05 April 2025, Published: 30 April 2025

## Abstract

भारतीय समाज में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उनको अच्छी शिक्षा दी जानी चाहिए। एक शिक्षित महिला ही देश के विकास में अपना योगदान दे सकती है। शिक्षा व्यक्ति को बल प्रदान करती है परन्तु हमारा देश महिला शिक्षा में अभी भी पिछड़ा हुआ है अतः समाज तथा सरकार को बलिका शिक्षा में कमी के कारणों को खोज कर उनका समाधान कर महिला साक्षरता को बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। शिक्षा व्यक्तित्व का ही विकास नहीं करती बल्कि आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक स्तर पर सशक्त बनाती है। अतः भातीय समाज के विकास में महिला अशिक्षा एक बाधक के रूप में है जिसे दूर करने के प्रयत्न किये जाने चाहिए। समाज तथा सरकार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है।

**मुख्य शब्द–** महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, परिवार, सरकार, मौलिक अधिकार, साक्षरता दर

## Introduction

भारत के संविधान ने मानवतावाद को अपनाया, जो भारत की वैदिक संस्कृति का हिस्सा है। संविधान के समय मानवाधिकार पर चर्चा हो रही थी और दुनिया भर में आंदोलन चल रहे थे। मानव मूल्यों के प्रसार के कारण, संविधान में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए उदारवादी दृष्टिकोण शामिल किया गया।[1] भारत 15 अगस्त, 1947 को स्वतंत्र हुआ, लेकिन तब वह पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं था क्योंकि उसका अपना संविधान नहीं था। 26 जनवरी, 1950 को भारत एक पूर्ण स्वतंत्र गणतंत्र बना और उसी दिन अपना संविधान लागू हुआ।[2] भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और नीति–निदेशक तत्व इसके मूल तत्व हैं। इनका उद्देश्य मानवाधिकारों के सिद्धांतों को दर्शाना है। संविधान की प्रस्तावना में चार मूल सिद्धांत हैंः न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बन्धुत्व। मौलिक अधिकार छह समूहों में विभाजित हैं।[3]

**महिला सशक्तिकरण–** महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जरूरी है कि महिला–शिक्षा को दो भागों में बांटा जाए– प्रारम्भिक साक्षरता और कार्यात्मक साक्षरता। प्रारम्भिक साक्षरता कार्यक्रम से अधिक से अधिक ग्रामीण महिलाओं को जोड़ा जाना चाहिए ताकि महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो कर देश के आर्थिक विकास में अपना योगदान दे सकें। साक्षरता को किसी भी समाज में सामाजिक व आर्थिक विकास का प्रतीत माना जाता है। सामाजिक, राजनैतिक व सांस्कृतिक चेतना तथा आर्थिक विकास के लिए उच्च साक्षरता दर और शिक्षा की गुणवत्ता बेहद आवश्यक है लेकिन दोनों ही मोर्चों पर भारत बुरी तरह से पिछड़ा हुआ है। महिलाओं की शिक्षा की स्थिति तो और भी खराब है। पहले तो प्रारंभिक विद्यालयों में नामांकन कराने वाली बालिकाओं की संख्या ही अपेक्षाकृत बहुत कम है और फिर पांचवी कक्षा तक स्कूल छोड़ देने वाले विद्यार्थियों में भी बालिकाओं की संख्या अधिक है।

© RESEARCH STREAM JOURNAL, 2025

eISSN 3049-2610
RESEARCH STREAM
A Bi-Annual, Open Access Peer Reviewed International Journal
Volume 02, Issue 01, April 2025

शिक्षा को अपने आप में साध्य और अन्य वांछनीय लक्ष्यों की पूर्ति का साधन समझा जाता है। शिक्षा के कारण व्यक्ति को बुद्धि का विकास होता है और उसका व्यक्तित्व निखरता है। इसके कारण व्यक्ति की सामाजिक व आर्थिक स्थिति तो सुधरती ही है साथ ही उसमें सांस्कृतिक समझ भी विकसित होती है। शिक्षा के कारण समाजीकरण की प्रक्रिया को गति मिलती है और समाज में गतिशीलता आती है। वैसे तो समाज के प्रत्येक व्यक्ति और हर वर्ग के लिए शिक्षा जरूरी है लेकिन महिलाओं के लिए इसका महत्व कुछ अधिक ही है। शिक्षा एक ऐसा सशक्त उपकरण है जो नई समाज व्यवस्था का सृजन करने के लिए महिलाओं को सक्षम बनाता है। इसें हमारी सभ्यता और संस्कृति की सर्वोच्चता ही कहा जायेगा कि हमारे वेदों में भी महिला–शिक्षा का विशद वर्णन है। सभी चार वेदों में महिला संबंधी सैकड़ों मंत्र दिए गए हैं जिनसे पता चलता है कि वैदिक काल में महिलाएं समाज में विशेष स्थान पर प्रतिष्ठित थीं। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार प्राचीन काल में महिलाओं की शिक्षा की उत्तम व्यवस्था थी और राजनीतिक, सामाजिक, व प्रशासनिक गतिविधियों में भी महिलाओं की सक्रिय भागीदारी थी।[4]

यह महिलाओं में शिक्षा की कमी ही के कारण है कि उनके खिलाफ विभिन्न प्रकार के अत्याचार और दुर्व्यवहार होते हैं। भारतीय राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व न के बराबर है तो इसका कारण भी शिक्षा और जागरूकता की कमी ही है। राजनीति और सत्ता में भागीदारी रूपी बैरोमीटर से किसी भी समाज के विकास का आकलन आसानी से किया जा सकता है। क्योंकि सत्ता में भागीदारी होगी तो अधिकार होंगे और प्राप्त–अधिकार ही विकास का सबसे अच्छा सूचक होते हैं। आज के राजनीति–प्रधान समाज में किसी भी वर्ग का राजनैतिक प्रतिनिधित्व बहुत मायने रखता है लेकिन दुर्भाग्य से भारतीय राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है, लगभग नगण्य ही है। कुछ के नामों को छोड़ दें तो भारत का राजनैतिक पटल लगभग महिला–विहीन ही है। यदि राजनीति में प्रतिनिधित्व नहीं है, सत्ता में भागीदारी नहीं है तो फिर कैसा विकास? इस प्रकार महिला विकास के लिए भी महिला–शिक्षा महत्वपूर्ण है और आवष्यक है।[5]

**भारत में बालिका शिक्षा की वर्तमान स्थिति–**

**1. वर्तमान परिदृश्य पर प्रकाश डालने वाले आंकड़े–** भारत में बालिकाओं की शिक्षा एक अलग तस्वीर पेश करती है। रिपोर्ट के अनुसार, 2001 में महिलाओं की साक्षरता दर [6]53.7% से बढ़कर 2021 में 70.3% हो गई, लेकिन पुरुष साक्षरता दर (2021 में 82.4%) की तुलना में इसमें काफ़ी अंतर है। यह विसंगति भारत में बालिकाओं की शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत को उजागर करती है।[7]

**2. बालिका शिक्षा की कम दर को प्रभावित करने वाले कारक–** बालिका शिक्षा की कम दर के पीछे कई कारक हैं। सामाजिक–आर्थिक बाधाएं, पितृसत्तात्मक मानसिकता, गरीबी और सुरक्षा संबंधी मुद्दों ने बालिकाओं की शिक्षा की यात्रा में महत्वपूर्ण बाधाएं पैदा की हैं।

**भारत में बालिका शिक्षा की चुनौतियाँ**

**1. सामाजिक–सांस्कृतिक बाधाएँ–** भारत में बालिकाओं को अक्सर महत्वपूर्ण सामाजिक–सांस्कृतिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। गहरी रूढ़िवादी मान्यताएँ और पारंपरिक प्रथाएँ अक्सर उनकी शैक्षिक प्रगति

© RESEARCH STREAM JOURNAL, 2025

eISSN 3049-2610
RESEARCH STREAM
A Bi-Annual, Open Access Peer Reviewed International Journal
Volume 02, Issue 01, April 2025

में बाधा डालती हैं। इसके अलावा, परिवारों में गरीबी और वयस्कों की निरक्षरता की कठोर वास्तविकता भी उनकी शैक्षणिक चुनौतियों में योगदान करती है।

**2. संस्थागत चुनौतियाँ–** संस्थागत चुनौतियाँ जैसे अपर्याप्त स्कूल बुनियादी ढाँचा, महिला शिक्षकों की कमी और शिक्षा की संदिग्ध गुणवत्ता अक्सर माता–पिता को अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने से हतोत्साहित करती हैं।

**3. सुरक्षा चिंताएं और भेदभाव–** भारत में बालिकाओं की सुरक्षा संबंधी चिंताएँ और लैंगिक भेदभाव का जारी रहना अन्य गंभीर चुनौतियाँ हैं। उत्पीड़न, बदमाशी और अन्य सुरक्षा संबंधी मुद्दे माता–पिता को अपनी बेटियों को शिक्षित करने से हतोत्साहित करते हैं।

**बालिका शिक्षा का महत्व और लाभ**

**1. बालिकाओं और समुदाय को सशक्त बनाना–** शिक्षा बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए एक शक्तिशाली साधन है। यह उन्हें समाज में सार्थक योगदान देने के लिए कौशल, ज्ञान और आत्मविश्वास प्रदान करती है।

**2. आर्थिक लाभ–** बालिकाओं को शिक्षित करने से ठोस आर्थिक लाभ भी होते हैं। एक शिक्षित महिला अपने परिवार की आय में योगदान दे सकती है, अपने समुदाय और देश की वित्तीय स्थिति को बेहतर बना सकती है।

**3. लैंगिक समानता को बढ़ावा देना–** बालिका शिक्षा लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण है। शिक्षा लड़कियों को सामाजिक मानदंडों और बाधाओं को चुनौती देने के लिए आत्मविश्वास और उपकरण प्रदान करती है, जिससे अधिक समतापूर्ण समाज का निर्माण होता है।

**माता–पिता, सरकार और समाज की भूमिका**

**1. माता–पिता और परिवार–** बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने में माता–पिता और परिवारों की भूमिका सर्वोपरि है। माता–पिता को अपनी बेटियों की शिक्षा का समर्थन करने और उनकी प्रगति में बाधा डालने वाली पारंपरिक मान्यताओं को चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित करना आवश्यक है।

**2. सरकारी पहल–** भारत में बालिका शिक्षा में सुधार लाने के लिए कई सरकारी पहल की गई हैं, जिनमें 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान और 'सर्व शिक्षा अभियान' शामिल हैं। इन पहलों का उद्देश्य हर बालिका को शिक्षा सुलभ कराना है।

**3. गैर–सरकारी संगठनों और नागरिक समाज की भूमिका–** बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने में एनजीओ और नागरिक समाज की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। वे जागरूकता बढ़ाकर, सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित करके और संसाधन उपलब्ध कराकर सरकारी प्रयासों में सहयोग करते हैं।

**निष्कर्ष–** निष्कर्ष के तौर पर, भारत में बालिका शिक्षा में बाधा डालने वाली चुनौतियों को स्वीकार करना और उनका समाधान करना महत्वपूर्ण है। माता–पिता, सरकार और समाज को सामूहिक रूप से हर बालिका


© RESEARCH STREAM JOURNAL, 2025

eISSN 3049-2610
RESEARCH STREAM
A Bi-Annual, Open Access Peer Reviewed International Journal
Volume 02, Issue 01, April 2025

की शिक्षा के लिए अनुकूल माहौल को बढ़ावा देना चाहिए। बालिका शिक्षा का महत्व व्यक्तिगत विकास से कहीं बढ़कर है; यह आर्थिक समृद्धि और सामाजिक न्याय के लिए एक आधारशिला है।

बालिका–शिक्षा की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है जागरूकता की कमी। कम्प्यूटर के इस युग में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो मानते हैं कि लड़कियों को तो आगे चलकर घर का कामकाज संभालना है, चूल्हा–चौका करना है इसलिए उन्हें शिक्षित करने से क्या फायदा, शिक्षा से उन्हें लाभ होगा। ये लोग मानते हैं कि लड़कियों की शिक्षा, समय और धन की बर्बादी के सिवा और कुछ भी नहीं है। इस मानसिकता को बदले जाने की जरूरत है। अभिभावकों को समझाया जाना चाहिए कि एक शिक्षित लड़की ही एक अच्छी पत्नी, अच्छी मां, अच्छी बहू और अच्छी नागरिक हो सकती है। यह सब एक जनजागरूकता अभियान के जरिये ही संभव है इसलिए जरूरत है एक जागरूकता अभियान की ताकि अभिभावक बालिका शिक्षा के महत्व को समझ कर अपनी बच्चियों को स्कूल भेजने को प्रेरित हो सकें। सरकार इस दिशा में काफी प्रयास कर रही है और रेडियों, टेलीविजन तथा अन्य प्रचार माध्यमों के द्वारा वह ऐसा अभियान चला भी रही है लेकिन यह काफी नहीं है। केवल सरकारी प्रयासों से कोई बड़ा कायाकल्प नहीं हो सकता इसलिए हम सभी को राष्ट्रीय महत्व के इस अभियान में जुटना होगा, सभी को अपने–अपने हिस्से की जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा।

लड़कियों की शिक्षा का एक बड़ा अवरोध गरीबी और दरिद्रता भी है। ऐसे अभिभावकों की कमी नहीं हैं जो अपनी बच्चियों को स्कूल तो भेजना चाहते हैं लेकिन धनाभाव के कारण वे एसा नहीं कर पाते हैं। लड़कियों को मुक्त शिक्षा देकर ऐसा आसानी से किया जा सकता है। इस दिषा में भारत सरकार एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उच्चतम न्यायालय ने उन्नीकृष्णन मामले में 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार माना था। इसी से प्रेरित हो कर सरकार ने शिक्षा को अनिवार्य और मुफ्त बना दिया है। सन् 2002 में किए गए छियासिवें संविधान संषोधन के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मुक्त एवं अनिवार्य बनाते हुए इसे मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान कर दिया गया है।

## संदर्भ सूची–

**1.** श्रीवास्तव, सुधारानी, भारत में मानवाधिकार की अवधारणा : अर्जुन पब्लिशिंग हाउस 4831/24, प्रह्लाद स्ट्रीट, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली, 2003, पृ0–20।

**2.** श्रीवास्तव, सुधारानी एवं श्रीवास्तव रागिनी : मानव अधिकार एवं महिला उत्पीड़न, अजय वर्मा कामनवेल्थ पब्लिषर्स 4831/24 प्रह्लाद स्ट्रीट, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली, 2003, पृ0–234।

**3.** योजना, सूचना प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली, अप्रैल –2006, पृ0–46।

**4.** शर्मा, प्रज्ञा : महिला विकास और सशक्तीकरण, आविष्कार पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर, 2001. पृ0 129।

**5.** श्रीवास्तव, श्रीमती सुधारानी : भारत में महिलाओं की वैधानिक स्थिति, अजय वर्मा कॉमनवेल्थ पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 2002, पृ0 4।

**6.** डॉ. कीर्ति वर्मा, 'स्त्री षिक्षा का इतिहास', रोषनी पब्लिकेषन्स कानपुर, 2015, पृ0–8।

7- By Acharya Srikant Maharaj, Importance of Girl Child Education in India – Challenges and Benefits, July 26, 2023.


© RESEARCH STREAM JOURNAL, 2025
WWW.RESEARCHSTREAM.IJARMS.ORG

© RESEARCH STREAM JOURNAL, 2025